शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

आधुनिक भारत में अत्याचारों के शिकार महिलाओं एवं सरकार के द्वारा रोकथाम एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्राप्तिः 29.05.2023
स्वीकृतः 25.06.2023

अखिलेश कुमार
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
टी०एम० भागलपुर वि०वि० भागलपुर
ईमेलः *sharmaakhilesh25732@gmail.com*

45

सारांश

इन सलाहों में अन्य बातों के साथ–साथ पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाना महिलाओं के प्रति हिरासती हिंसा में दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारी को तत्काल और सेल्यूटरी दंड देने के लिए उचित उपाय अपनाना महिलाओं की हत्या बलात्कार और उत्पीड़न की जांच–पड़ताल में कम से कम समय लगाना और इसकी गुणवत्ता में सुधार करना जिन जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ नहीं हैं वहां इनकी स्थापना करना पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त संख्या में परामर्श केन्द्र और आश्रय गृह प्रदान करना विशेष महिला अदालतें स्थापित करना और पीड़ित महिलाओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए विकसित योजनाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना जिसमें आय अर्जित करने पर विशेष जोर दिया जाए ताकि महिलाओं को और अधिक स्वतंत्र और आत्म–निर्भर बनाया जा सके।

अवधारणा

21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दोनों ही साथ–साथ चल रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध होती यह हिंसा अलग–अलग तरह की होती है तथा महिलाएं इस हिंसा का शिकार किसी भी जगह जैसे घर सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में हो सकती हैं। महिलाओं के प्रति होती यह हिंसा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं और इसे अब और ज्यादा अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिंसा से तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुँचाना। किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कह कर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही प्रारूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती परन्तु दिलों–दिमाग पर गहरा आघात जरुर पहुँचता है। बलात्कार हत्या अपहरण आदि को आपराधिक हिंसा के लिए मज़बूर करना विधवा महिला को सती–पथा के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है। ये सभी घटनाएँ महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहीं हैं।

महिलाओं के प्रति होती हिंसा में लगातार इज़ाफा हो रहा है और अब तो ये चिंताजनक विषय बन चुका है। महिला हिंसा से निपटना समाज सेवकों के लिए सिरदर्द के साथ–साथ उनके

लिए एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। हालाँकि महिलाओं को जरुरत है की वे खुद दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी जिम्मेदारी खुद ले तथा अपने अधिकारों सुविधाओं के प्रति जागरूक हो।

हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों लातों पिटाई अपमान धमकियों यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घअनाओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं। इस सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के परे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती डरती व झिझकती हैं। अनेक डॉक्टर्स नर्सें व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चुक जाते हैं।

यह अध्याय महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा से संबंधित है। यह आपको यह समझने में सहायक होगा कि हिंसा क्यों होती है इसके लिए आप क्या कर सकती हैं तथा अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार कार्यरत हो सकते हैं।

कोई पुरुष महिला को चोट क्यों पहुंचाता है

महिला को चोट पहुंचाने के लिए पुरुष अनेक बहाने दे सकता है जैसे कि वह शराब के नशे में था वह अपना आपा खो बैठा या फिर वह महिला इसी लायक है। परंतु वास्तविकता यह है कि वह हिंसा का रास्ता केवल इसलिए अपनाता है क्योंकि वह केवल इसी के माध्यम से वह सब प्राप्त कर सकता है जिन्हें वह एक मर्द होने के कारण अपना हक समझता है। जब एक पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी की जिन्दगी पर काबू नहीं रहता है तो वह हिंसा का प्रयोग करके दूसरों की जिन्दगी पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीकों का प्रयोग करके अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है परंतु यदि वह दूसरों के जीवन पर अपना नियंत्रण वह भी हिंसा का प्रयोग करके बनाने की कोशिश करे तो वह सही नहीं है।

भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक महिला के खिलाफ की गई शारीरिक या यौन हिंसा को संदर्भित करती हैं आमतौर पर एक पुरुष द्वारा। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूपों में घरेलू दुर्व्यवहार यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे कृत्य शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा माने जाने के लिए कृत्य केवल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि पीड़िता महिला है। आमतौर पर ये कृत्य पुरुषों द्वारा देश में मौजूद लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं के परिणामस्वरूप किए जाते हैं। स्त्रियों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को इंगित करती ये पंक्तियाँ रूह को कंपा देने वाली हैं। हालाँकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएँ एक लंबे समय से अवमानना यातना और शोषण का शिकार रही हैं। हमारी विचारधाराओं संस्थागत रिवाज़ों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज़ आज भी व्याप्त हैं।

आज महिलाएँ एक तरफ सफलता के नए–नए आयाम गढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएँ जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है उनका उपहरण किया जाता है उनके साथ बलात्कार किया जाता है उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वे कौन–सी महिलाएँ हैं जिनके साथ हिंसा

होती है या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन है हिंसा का मूल कारण क्या है और इसे खत्म कैसे किया जाए जाहिर सी बात है हम में से अधिकांश लोग कभी भी इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते या सुनते हैं तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय अपने घर की महिलाओं बहनों और बेटियों पर तरह–तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, जो स्वयं एक प्रकार की हिंसा ही है। इन्हीं सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Eleimination of Violence against Women) मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरुक करना है।

रिपोर्ट क्या कहती हैं

26 जून 2018 को जारी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार निर्भया कांड के बाद देशभर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था। लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई और अब वह इस मामले में विश्व में पहले पायदान पर पहुँच गया है जबकि 2011 में भारत चौथे पायदान पर था। 2011 में भारत के इस खराब प्रदर्शन के लिए मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या नवजात बच्चियों की हत्या और मानव तस्करी जिम्मेदार थीं जबकि 2018 का सर्वे बताता है कि भारत यौन हिंसा सांस्कृतिक–धार्मिक कारण और मानव तस्करी इन तीन वजहों के चलते महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। 2018 में भारत में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची और झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की ख़बरें दुनियाभर में चर्चा का विषय बनीं। दिसंबर 2017 को इंडियास्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति घंटे औसतन 39 मामले दर्ज किए गए। साल 2007 में यह संख्या मात्र 21 थी। सरकार ने प्रतिक्रिया में बलात्कारियों के लिए सजा कड़ी करने और बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले को मौत की सजा देने का ऐलान किया। लेकिन इंडियास्पेंड ने मई 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि इन सजाओं के चलते बलात्कार के केस दर्ज किए जाने में कमी आ सकती है।

साल 2015–16 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में 15–49 आयु वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर NFHS-4 के अनुसार उसी आयु वर्ग की 6 फीसदी महिलाओं को उनके जीवनकाल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े भी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि को स्पष्ट करते हैं। इन अपराधों में बलात्कार घरेलू हिंसा मारपीट दहेज प्रताड़ना एसिड हमला उपहरण मानव तस्करी साइबर अपराध और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 29 लाख मामले दर्ज किए गए। 2016 में इस आंकड़े में 9711 की बढ़ोतरी हुई और इस दौरान 38 लाख मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2017 में 60 लाख मामले दर्ज किये गए। साल 2015 में बलात्कार के 34,651 मामले 2016 में बलात्कार के 38,947

मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में भारत में कुल 32,559 बलात्कार हुए जिसमें 931% आरोपी करीबी ही थे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो–2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा 5562 मामले मध्यप्रदेश में दर्ज हुए। इस सूची में 3305 रेप मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है–

आपराधिक हिंसा जैसे– बलात्कार, अपहरण, हत्या।

घरेलू हिंसा जैसे– दहेज संबंधी हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार।

सामाजिक हिंसा जैसे– पत्नी पुत्रवघू को मादा भ्रूण की हत्या (Female Foeticide) के लिये बाध्य करना, महिलाओं से छेड़–छाड़ संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिये बाध्य करना पुत्र–वधू को और अधिक दहेज के लिये सताना साइबर उत्पीड़न आदि।

आइए घरेलू दायरे और साथ ही साथ समाज में महिलाओं के साथ होने वाले कुछ अपराधों पर नज़र डालें।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साल 2021 में केवल 507 मामले दर्ज किये गए जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों का 01 फीसदी है। जबकि वास्तविकता में यह संख्या कई गुना अधिक है। इसमें महिलाओं को लैंगिक शारीरिक और मानसिक यातनाएँ दी जाती हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नज़र आती है और महिलाएँ इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारतीय समाज में शादी के पहले से ही लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डोली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थी उठनी चाहिये यानी शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती भले ही ससुराल वाले उसका कितना ही उत्पीड़न करें। जिसके चलते अधिकाँश महिलाएँ बिना किसी से शिकायत किये शांति से हिंसा को सहती रहती हैं। वहीं कई महिलाएँ एवं बेटियाँ ऐसी भी हैं जो अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में घर की बेटियों व महिलाओं के सभी महत्वपूर्ण निर्णय घर के पुरुष मुखिया ही करते हैं। जिसके चलते कई बार वह अपने घर की लड़कियों को पढ़ाई के उचित अवसर नहीं देते अगर पढ़ा भी दिया तो नौकरी करने के लिये घर की चारदीवारी से बाहर नहीं भेजते उन पर जबरन शादी का दबाव बनाते हैं जो कि एक प्रकार की मानसिक हिंसा है।

बलात्कार

बलात्कार समाज में होने वाला सबसे घिनौना अपराध है। ऐसे अपराधों में भी आमतौर पर अपरिचितों की बजाय परिचित ही शामिल होते हैं। यह अपराध अचानक नहीं होता बल्कि इसे पुरुषों द्वारा

विचारित कर्म माना जाता है। अपराधी अधिकतर ऐसी संवेदनशील महिलाओं या बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं जो न तो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और न ही उनका सामना कर सकती हैं। कई बार एक समूह के पुरुष किसी दूसरी जाति के पुरुषों को नीचा दिखाने या अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिये उनके परिवार की महिलाओं को अपना शिकार बना लेते हैं उनका बलात्कार करते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा इज्जत के डर से बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है।

यौन उत्पीड़न

इसके अंतर्गत महिलाओं की आयु वर्ग या वेशभूषा पर ध्यान दिये बिना सड़कों पर बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर के दौरान या फिर कार्यस्थल पर उन पर मौखिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ करना या जानबूझकर उनसे टकराना या अश्लील भाषा का प्रयोग करना आदि शामिल हैं। ये शायद ऐसे गिने–चुने अपराध हैं जो दिनदहाड़े किये जाते हैं और ये ऐसे एपराध भी हैं जिन्हें पुलिस और आम जनता अनदेखा कर देती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक आम रुख कि लड़के आखिर लड़के हैं यौन उत्पीड़न को निरपराध और छिछोरी गतिविधि बनाते हैं। लेकिन ऐसे विकृत सुख का आखिर अर्थ क्या है और महिलाओं पर इसका क्या असर है, इस पर कोई विचार नहीं करता यौन उत्पीड़न की घटनाएँ जिस परिस्थिति में घटित हैं, वे शायद अलग–अलग हो सकती हैं लेकिन महिलाओं पर इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ कामगार और मनुष्य के रूप में खुद को शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देती हैं और उनमें घोर निराशा आ जाती है वे स्वयं को शक्तिहीन मानने लगती हैं। इसी कारण यौन उत्पीड़न को अक्सर मनोवैज्ञानिक बलात्कार भी कहा जाता है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कुछ आँकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताविक साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 29 लाख मामले साल 2016 में 38 लाख मामले साल 2017 में 60 लाख मामले और साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किये गए। वहीं साल 2021 में ये आँकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया जिनमें से अधिकतर यानी 8 फीसदी पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के 40 फीसदी बलात्कार के 66 फीसदी अपहरण के 8 फीसदी महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं बल बढ़ता जाता हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण

पितृसत्तात्मक मानसिकता

पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति एवं संसाधनों का असमान वितरण।

लैंगिक जागरूकता का अभाव

पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तीकरण।

समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति

पुरुषों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक सुभेद्य (Vulnerable) होना।

कानूनों का कुशल कार्यान्वयन न होना

घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना।

लिंग भूमिकाओं से संबंधित रूढियाँ

महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना।

अक्सर ऐसी महिलाएँ होती हैं हिंसा की शिकार

यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी मामलों का अवलोकन करें तो हम पाएँगे कि सामान्यतया हिंसा की शिकार वे महिलाएँ होती हैं जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं जिनकी आत्मछवि खराब होती है जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती हैं या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के कारण भावात्मक रूप से निर्बल हो गई हैं। जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं। जिनमें सामाजिक परिपक्कता की या सामाजिक अन्तर– वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनके पति या ससुराल वालों का व्यक्तित्व विकृत है और जिनके पति प्राय शराब पीते हैं।

हिंसा करने वाले कौन

हिंसा करने वालों में प्राय वे लोग शामिल होते हैं, जो अवसादग्रस्त होते हैं जिनमें हीन भावना होती है और जिनका आत्मसम्मान कम होता है। जो मनोरोगी होते हैं। जिनके पास संसाधनों प्रवीणताओं (Skills) और प्रतिभाओं (Talents) का आभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व विकृत होता है। जिनकी प्रकृति में मालिकानापन (Possessive), शक्कीपन और प्रबलता (Dominance) होती है। जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे और जो मदिरापान करते हैं।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण कानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध माना गया है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986

आईपीसी की धारा 494 के तहत पति या पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना दंडनीय अपराध।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973

भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956

कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये वर्कप्लेस बिल (POSH Act, 2013)

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम

अपराधों को रोकने संबंधी चुनौतियाँ

तमाम कानूनों और तरीकों को अपनाने के बाद भी हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले

अपराधों को रोकने में असफल हो रहे हैं इसलिये यह आवश्यक है कि समस्या का समाधान करने से पहले हम उसमें आने वाली चुनैतियों को समझें। न्यायाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का लंबे समय तक लंबित पड़े रहना। सजा दिये जाने की दर में कमी। जाँच करने वाले अधिकारियों का महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना अर्थात महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नज़र से देखना। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में रोकथाम के स्थान पर सज़ा पर अधिक ज़ोर दिया जाना।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के उपाय

निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये बनाए गए कानूनों को मज़बूत करने के साथ–साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिताफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। महिला थानों की संख्या के साथ–साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाय जाए और हेल्पलाइन नंबर फोरेंसिक लैब की स्थापना सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये। समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत।

सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हों और आत्मनिर्भर बन सकें। तो हमने देखा कि महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिये जो लड़ाई लड़नी है उसके लिये अभी मीलों का सफर तय करना है और हम इस सफर को तभी तय कर पाएँगे जब महिलाएँ अपने साथ होने वाले अपराधों को सहना छोड़कर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएँगी क्योंकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को सिर्फ सहना सिखाया जाता है कहना नहीं सिखाया जाता। इसलिये ज़रूरी है कि महिलाएँ सबसे पहले अपनी आवाज़ खुद उठाएँ अपनी मशाल का दीपक खुद जलाएँ तथा अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता न करें। इसी संदर्भ में महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का कहना है कि–

इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था
तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था
सदा औरों को खुश्ज्ञ रखना बहुत ही खूब है लेकिन
खुशी थोड़ी तू अपने को भी दे पाती तो अच्छा था
दुखों को मानकर किस्मत हारकर जीने से क्या होगा
तू आँसू पोंछकर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था
ये पीला रंग, लब सूखे सदा चेहरे पे मायूसी
तू अपनी एक नयी सूरत बना लेती तो अच्छा था
तेरी आँखों में आँसू हैं तेरे सीने में हैं शोले
तू इन शोलों में अपने गम जला लेती तो अच्छा था

है सर पर बोझ जुल्मों का तेरी आँखे सदा नीची
कभी तो आँखे उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था
तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है लेकिन
तू इस आँचल का इक परचम बना लेती तो अच्छा था।

विस्तार

देश में लॉकडाउन के एक साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को हर महीने महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 2000 से अधिक मामले मिल रहे हैं। इन शिकायतों में एक चौथाई मामले घरेलू हिंसा से संबंधित हैं। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था लेकिन यह लॉकडाउन कई महिलाओं के लिए भारी पड़ा। महिला आयोग के अनुसार घरेलू हिंसा की शिकायतों की संख्या हर महीने बढ़ती जा रही हैं और जुलाई में 660 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून से महिला आयोग को हर महीने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 2,000 से अधिक शिकायतें मिल रही हैं।

महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 से अब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध की 25,886 शिकायतें मिलीं हैं जिसमें घरेलू हिंसा की 5,865 शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा महिला आयोग के महिलाओं के खिलाफ छह वर्षों से सबसे अधिक वर्ष 2020 में 23,722 शिकायतें मिलीं जिसमें से कि घरेलू हिंसा की लगभग एक–चौथाई मामले हैं।

यह पहजी नज़र में लगने की तुलना में वास्तव में अधिक मौजूद है, क्योंकि हिंसा की कई अभिव्यक्तियों को अपराध नहीं माना जाता है, या अन्यथा कुछ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं के कारण अप्रतिबंधित या अप्रलेखित हो सकते हैं। कई महिलाएँ इस बात से सहमत होती हैं कि उनके पति द्वारा उनकी पिटाई करना जायज है।[1] [2] 2022 में भारत की जेंडर गैप इंडेक्स रेटिंग 146 देशों में 135 रैंक के साथ 0.629 थी।[3]

संदर्भ

1. घोष, श्रीपर्णा. (2011). देखना दोष देना चुप कराना हस्तक्षेप करना भारत में घरेलू हिंसा को रोकने में समुदाय की भूमिका की खोज. नृविज्ञान का अभ्यास. 33. नंबर 3. एंथ्रापोलॉजिकल एनकाउंटर विद इंटिमेट पार्टनर वायलेंस रिफ्लेक्शंस ऑन आवर रोल्स इन एडवोकेटिंग फॉर अ सेफर वर्ल्ड।
2. वर्गीस, रेबेका रोज़. (2022). राधाकृष्णन विग्नेश सुंदर कन्नन. 03 सिंतबर. साइलेंट सर्वाइवर्स इन द साउथ. द हिंदू. 09 अगस्त को पुनः प्राप्त।
3. मिश्रा, उदित. (2022). व्याख्या 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसर भारत कितना लैंगिक बराबर है द इंडियन एक्सप्रेस. 14 जुलाई. 09 अगस्त पुनः प्राप्त।
4. (2013). महिलाओं के खिलाफ अपराध पीडीएफ. एनसीआर बीजी ओवी इन. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 18 सितंबर को मूल से संग्रहीत. पीडीएफ. 02 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

5. (2022). 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 15% बढ़े दिल्ली सबसे असुरक्षितः एनसीआरबी रिपोर्ट की मुख्य बातें. पहली पोस्ट. 30 अगस्त. को पुनः प्राप्त।
6. (2022). 2021 में पूरे भारत में लगभग 20% वृद्धि राजस्थान में उच्चतम मामले थे एनसीआरबी. द वायर. 30 अगस्त को पुनः प्राप्त।
7. (2016). अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और लैंगिक समानता सर्वेक्षण ;प्उंहमेद्ध. प्ब्ॅण्वतह. 27 मार्च को मूल से संग्रहीत. 05 अप्रैल को पुनः प्राप्त।
8. पीटर्स, जूली वोल्पर एंड्रिया एड. (2018). महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार. डीओआई– 104324 / 9781315656571 आईएसबीएन 978.1.315.65657.1.